

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य मिशन निदेशक(एसबीएम)/निदेशक,  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2023

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत शौचालय, यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष समतुल्य राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी०एम०यू०/8894/498(2)/2023, दिनांक 23.08.2023 एवं उप सचिव, आवासन एवं शहरीय विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-1/15/2022-एस०बी०एम०-II (Computer No 9125289) दिनांक 10.08.2023 एवं पत्र संख्या-1/15/2022-एस०बी०एम०-II (Computer No 9125289) दिनांक 11.08.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत शौचालय, यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट हेतु ₹0 2,82,45,04,505/- (₹0 दो सौ बयासी करोड़ पैंतालीस लाख चार हजार पाँच सौ पाँच मात्र) एवं कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु ₹0 4,82,50,000/- (₹0 चार करोड़ बयासी लाख पचास हजार मात्र) अर्थात् कुल अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि ₹0 2,87,27,54,505 ( रुपये दो अरब सत्तासी करोड़ सत्ताईस लाख चौवन हजार पाँच सौ पाँच मात्र ) तथा उसके सापेक्ष आनुपातिक अवशेष राज्यांश की धनराशि ₹0 13,22,49,329.00 (₹0 तेरह करोड़ बाइस लाख उन्चास हजार तीन सौ उन्तीस मात्र) अर्थात् कुल केन्द्रांश+राज्यांश की धनराशि ₹0 3,00,50,03,834.00 ( रुपये तीन अरब पचास लाख तीन हजार आठ सौ चौतीस मात्र ) को निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों**

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (एसबीएम)2.0 के पदनाम से खुले शेडयूल्ड कामर्शियल बैंक में स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी एवं उक्त स्टेट नोडल खाते से लिंक नगरीय निकायों के स्वच्छ भारत मिशन परियोजना के खोले गये खाते में अन्तरित की जायेगी।
- (2) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबन्ध के अधीन प्रश्रुत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
- (3) अवमुक्त धनराशि का उपभोग भारत सरकार की गाइड-लाइन्स के अनुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/शासन/महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाय।
- (4) धनराशि एकमुश्त अहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि का कोई अंश बैंक/पोस्ट ऑफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखा जायेगा, इसका रख-रखाव भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।
- (6) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (7) राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) द्वारा 'सेंटेज चार्ज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- (9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन है कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (11) यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्रगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य अन्य किसी कार्य योजना से संबंधित है।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष: 2215021070505** (घरेलू शौचालयों का निर्माण (के.60/रा.40-के.))

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 037	2215021070505 घरेलू शौचालयों का निर्माण (के.60/रा.40-के.)	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	3,58,01,000 ( रुपये तीन करोड़ अठ्ठावन लाख एक हजार मात्र )
कुल	3,58,01,000 ( रुपये तीन करोड़ अठ्ठावन लाख एक हजार मात्र )		

**लेखाशीर्ष: 2215021070506** (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयों / यूरिनल का निर्माण (के.25/रा.16/ला.59 - के.))

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 037	2215021070506 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयों / यूरिनल का निर्माण (के.25/रा.16/ला.59 - के.)	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	34,75,000 ( रुपये चौंतीस लाख पचहत्तर हजार मात्र )
कुल	34,75,000 ( रुपये चौंतीस लाख पचहत्तर हजार मात्र )		

**लेखाशीर्ष: 2215021070507** (01 लाख से अधिक एवं 10 लाख से कम (दोनों को सम्मिलित करते हुये) जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयों / यूरिनल का निर्माण (के.33/रा.22/ला.45 - के.))

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 037	2215021070507 01 लाख से अधिक एवं 10 लाख से कम (दोनों को सम्मिलित करते हुये) जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए सामुदायिक / सार्वजनिक	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	3,95,46,505 ( रुपये तीन करोड़ पंचानबे लाख छियालीस हजार पांच सौ पांच मात्र )

	शौचालयों / यूरिनल का निर्माण (के.33/रा.22/ला.45 - के.)		
कुल	3,95,46,505 ( रुपये तीन करोड़ पंचानबे लाख छियालीस हजार पांच सौ पांच मात्र )		

लेखाशीर्ष: 2215021070508 (01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयों / यूरिनल का निर्माण (के.50/रा.33/ला.17 - के.) )

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 037	2215021070508 01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयों / यूरिनल का निर्माण (के.50/रा.33/ला.17 - के.)	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	18,26,32,000 ( रुपये अठारह करोड़ छब्बीस लाख बत्तीस हजार मात्र )
कुल	18,26,32,000 ( रुपये अठारह करोड़ छब्बीस लाख बत्तीस हजार मात्र )		

लेखाशीर्ष: 2215021070512 (01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए यूज्ड वाटर मैनेजमेंट संबंधी कार्य (के.50/रा.33/ला.17 - के.) )

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 037	2215021070512 01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए यूज्ड वाटर मैनेजमेंट संबंधी कार्य (के.50/रा.33/ला.17 - के.)	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	2,56,30,50,000 ( रुपये दो अरब छप्पन करोड़ तीस लाख पचास हजार मात्र )
कुल	2,56,30,50,000 ( रुपये दो अरब छप्पन करोड़ तीस लाख पचास हजार मात्र )		

लेखाशीर्ष: 2215021070513 (कैपेसिटी बिल्डिंग संबंधी कार्य (के.60/रा.40-के.) )

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 037	2215021070513 कैपेसिटी बिल्डिंग संबंधी कार्य (के.60/रा.40-के.)	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	4,82,50,000 ( रुपये चार करोड़ बयासी लाख पचास हजार मात्र )
कुल	4,82,50,000 ( रुपये चार करोड़ बयासी लाख पचास हजार मात्र )		

लेखाशीर्ष: 2215021078908 (01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयों / यूरिनल का निर्माण )

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 037	2215021078908 01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए सामुदायिक	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के	10,00,82,663 ( रुपये दस करोड़ बयासी हजार छह सौ त्रैसठ मात्र )

	/ सार्वजनिक शौचालयों / यूरिनल का निर्माण	सृजन हेतु अनुदान	
कुल	10,00,82,663 ( रुपये दस करोड़ बयासी हजार छह सौ त्रेसठ मात्र )		

लेखाशीर्ष: 2215021078913 (कैपेसिटी बिल्डिंग संबंधी कार्य )

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 037	2215021078913 कैपेसिटी बिल्डिंग संबंधी कार्य	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	3,21,66,666 ( रुपये तीन करोड़ इक्कीस लाख छियासठ हजार छह सौ छियासठ मात्र )
कुल	3,21,66,666 ( रुपये तीन करोड़ इक्कीस लाख छियासठ हजार छह सौ छियासठ मात्र )		

महायोग	3,00,50,03,834 ( रुपये तीन अरब पचास लाख तीन हजार आठ सौ चौतीस मात्र )
--------	---

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-182-X-2023-24-दिनांक: 30-08-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय  
30-08-2023  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-102/2023/4731(1)/नौ-5-2023/001-Computer No 1420471-SBM, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3-संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 4-निदेशक (एसबीएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6-प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 7-निदेशक, सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 8-सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 9-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 10-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 11-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 12-निजी सचिव, मा० मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 13-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,  
30-08-2023  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।